रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2000/ज्येष्ठ 1, 1922

No. 102] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2000/JYAISTHA 1, 1922

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 19 मई, 2000

सं. 12019/13/2000-एफ पी पी-II.—यूरिया बनाने वाली एककों की क्षमताओं के पुनर्निर्धारण, पुनर्निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति, तिथि जब से पुनर्निर्धारण की जानी है एवं प्रत्येक एकक से वसूल की जाने वाली उचित धनराशि कुल सही रकम का प्रश्न कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रहा है। उर्वरक उद्योग समन्वय समिति ने अप्रैल, 1999 में सभी उच्च क्षमता उपयोग वाले एककों की पहचान करने, उनके पुनर्मूल्यांकित क्षमताओं की अनुशंसा करने तथा विभिन्न तिथियों, जब से अंतिम पुनर्मूल्यांकित क्षमता कार्यान्वित की जा सकी है, से इसके द्वारा अपनाई गई विभिन्न पद्धतियों से वित्तीय भार वसूली की जाने वाली धनराशि को निकालने के लिए भी एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर फरवरी, 2000 में एफ आई सी सी द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त, उर्वरक उद्योग को हुए अवांछित लाभों की रकम की मात्रा निर्धारण के लिए एवं संबंधित उर्वरक कम्पनियों से सब्सिडी की अधिक धनराशि की वसूली के प्रयोजनार्थ उपयुक्त निर्धारित तारीख की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया है।

2. इस समिति का गठन और विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :-

समिति का गठन

1. डा0 वाई. के. अलग — अध्यक्ष
2. डा0 अरविन्द बिरमानी — सदस्य
   वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार,
   आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

समिति के विचारार्थ विषय

1. विशेषज्ञ समिति (डा0 अलग समिति) निम्नलिखित पर विशेष ध्यान देते हुए क्षमता के पुर्ननिर्धारण के सम्पूर्ण मुददे पर विचार करेगी ।

(क) पुर्ननिर्धारण के लिए अपनाये जाने वाली पद्धति,

(ख) पुर्ननिर्धारण की पद्धति पर आधारित वसूली के प्रयोजनार्थ अपनाये जाने वाली प्रभावी कट–आफ तिथि,

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के आधार पर प्रत्येक एकक को मिले अवांछित लाभों की कुल राशि की मात्रा का मात्राकरण ।

(।।) उपर्युक्त पैरा (।) (ग) निर्धारित की गई राशि को वसूल करने के लिए रूपात्मकताओं का सुझाव देना ।

(।।।) उर्वरक विभाग के तत्कालीन परामर्शदाता डा0 जी वी.पुरोहित की अध्यक्षता में आदेश सं0 एफ आई सी सी /टी/21(आर)/99 तारीख 20–4–1999 के तहत उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ. आई सी सी) के कार्यालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की विस्तृत रिर्पोट पर इस समिति की रिर्पोट यथा सम्भव आधारित होगी । तथापि, यह समिति ऐसी सिफारिश कर सकती है, जिसे यह उर्वरक उद्योग में अधिकतम उत्पादन तथा उत्पादकता के हित में विशेषज्ञ समिति की रिर्पोट से उत्पन्न मामलों पर उपयुक्त समझती हैं तथा उर्वरक क्षेत्र में निवेश को जारी रखने को सुनिश्चित करेगी ।

4. समिति की मदद श्री जी.रामाचन्द्रन, उपनिदेशक, टैरिफ आयोग द्वारा की जायेगी । समिति को सचिवालीय मदद एफ आई सी सी के कार्यालय द्वारा की जायेगी । श्री ए.के.गौतम, संयुक्त निदेशक (लागत मूल्यांकन), एफ आई सी सी भी समिति की मदद करेंगे ।

5. समिति इसके गठन की तारीख के दो महीनों के भीतर अपने निष्कर्ष तथा सिफारशें प्रस्तुत करेगी ।

रवि माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

RESOLUTION

New Delhi, the 19th May, 2000

No. 12019/13/2000-FPP-II.—The question of re-assessment of capacities of urea manufacturing units, the method for re-assessment to be adopted, the date from which the re-assessment should be effected and based thereon the exact amount to be recovered from each unit has been under consideration of the Government for quite some time. The Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) constituted an Expert Committee in April 1999 to identify all high capacity utilization units and to recommend their reassessed capacities, and also to work out financial implications of the various methods adopted by it from different dates from which the final reassessed capacity could be implemented. Report of the Expert Committee was discussed in detail in the FICC in Feb. 2000. Further to this, it has been decided to constitute a Committee of Experts for quantification of amounts of unintended benefits which have accrued to the Fertilizer Industry and to recommend the appropriate cut off date for the purpose of recovering the excess of amount of subsidy from concerned fertilizer companies.

2. The composition and terms of reference of the Committee shall be as follows: -

COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	Dr. Y.K. Alagh,	Chairman
2.	Dr. Arvind Virmani, Sr. Economic Advisor, Deptt. of Economic Affairs, Ministry of Finance.	Member

TERMS OF REFERENCE OF THE COMMITTEE

(i) The Committee of Experts (Dr. Alagh's Committee) will address to the total issue of re-assessment of capacity with specific attention to the following:-

(a) The method of re-assessment to be adopted,

(b) The effective cut off date to be adopted for the purpose of recovery based on the method of re-assessment,

(c) Quantification of total amount of unintended benefits that have accrued to each unit on the basis of (a) and (b) above.

(ii) To suggest modalities to recover the amounts quantified at para (i) (c) above.

(iii) The Committee will base its report as far as possible on the detailed report of the Expert Committee appointed by Office of Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) vide its Order No. FICC/T/21 (R)/99 dated 20th April, 1999 under the chairmanship of Dr. G.B. Purohit, the then Consultant, Deptt. of Fertilizers. However, the Committee may make such recommendations, as it may deem appropriate on matters arising out of the Expert Committee's report in the interest of maximizing production and productivity in the fertilizer industry and to ensure continued flow of investment in the fertilizer sector..

4. The Committee will be assisted by Shri G. Ramachandran, Dy. Director, Tariff Commission. Secretarial assistance to the Committee will be provided by Office of FICC. Shri A.K. Gautam, Joint Director (Cost Evaluation), FICC will also assist the Committee.

5. The Committee shall submit its conclusions and recommendations within two months of the date of its constitution.

RAVI MATHUR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.